भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1244

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नहीं जोड़ी गई बस्तियां

1244. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत , आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में चिह्नित की गई ऐसी बस्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है , जो अब तक इस योजना के अंतर्गत सड़कों से नहीं जोड़ी गई हैं;

(घ) तमिलनाडु में सड़कों से नहीं जोड़ी गई ऐसी पात्र बस्तियों का ब्यौरा क्या है , जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अब तक सड़कों से जोड़ा गया है;

(ङ) तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत अब तक निर्मित सड़कों की लम्बाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण की गति के संबंध में शिकायतें दर्ज करने में पारदर्शिता लाने और नागरिकों को शामिल करने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) वाली

सड़कों से न जुड़ी पात्र बस्तियों को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एकबारगी विशेष पहल के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई थी। जनजातीय (अनुसूची- V) क्षेत्रों और चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय (एमएचए) और योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) तथा 2001 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में स्थित 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बस्तियों को इस योजना के अंतर्गत पात्रता के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) में 2001 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।

बाद में नए उपायों को शामिल करने के लिए पीएमजीएसवाई के अधिदेश का विस्तार किया गया है। वर्ष 2013 में पीएमजीएसवाई -II की शुरूआत की गयी थी , जिसका लक्ष्य मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क में से 50,000 किलोमीटर को अपग्रेड करना था , ताकि लोगों , वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में इसकी समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) की शुरूआत वर्ष 2016 में 9 राज्यों आंध्र प्रदेश , बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 44 जिलों और आसपास के जिलों में चुनी गई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए की गई थी।

पीएमजीएसवाई-III की शुरूआत वर्ष 2019 में बस्तियों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए की गयी थी।

पीएमजीएसवाई की मुख्य विशेषताएं विकेन्द्रीकृत और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार मानक और विनिर्देशन, केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विशिष्ट कार्यान्वयन तंत्र, कई स्तरों पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की जांच , कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र , त्रि-स्तरीय गुणवत्ता

प्रबंधन प्रणाली, निधियों का निर्बाध प्रवाह, कार्यों की आयोजना, चयन और निगरानी में जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के लिए अंतर्निहित तंत्र आदि हैं।

(ख): प्रारंभ से अब तक तमिलनाडु राज्य के लिए कुल 6,493.71 करोड़ रुपए स्वीकृत/जारी किए गए हैं। राज्य ने प्रारंभ से (24 जुलाई, 2024 तक) 8,606.40 करोड़ रुपए (राज्य के अंश सहित) के व्यय की सूचना दी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य को पीएमजीएसवाई के तहत 195.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और राज्य द्वारा किया गया व्यय 169.44 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ): पीएमजीएसवाई के तहत शुरुआत से (24 जुलाई, 2024 तक) कुल 1985 बस्तियों को पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों से जोड़ने के लिए योग्य पाया गया और सभी 1985 बस्तियों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

(ड.): पीएमजीएसवाई के विभिन्न जारी कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए कुल 26,578 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत की गई है , जिसमें से 23,449 किलोमीटर सड़क का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 2,950 किलोमीटर सड़क का कार्य विभिन्न चरणों में जारी है। पीएमजीएसवाई के तहत शुरूआत से 24.07.2024 तक कार्यकलाप/घटक-वार वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(सड़क की लंबाई कि.मी. में)

कार्यकलाप का नाम/घटक	**स्वीकृत**	**पूरी की गई**	**शेष***
पीएमजीएसवाई -I	16320	16168	0
पीएमजीएसवाई -II	2940	2937	0
पीएमजीएसवाई III	7318	4344	2,950
कुल:	**26,578**	**23,449**	**2,950**

* शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और पूरी की गई लंबाई के अंतर से कम है क्योंकि सड़क की लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, आंशिक सड़क लंबाई का निर्माण कार्य अन्य एजेंसियों द्वारा करने आदि के कारण कुछ परियोजनाएं स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई में पूरी हो गई थीं।

(च): पीएमजीएसवाई में निर्माण के दौरान सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अर्थात कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां

(पीआईयू), राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) की परिकल्पना की गई है। एनक्यूएम और एसक्यूएम की निरीक्षण रिपोर्टों का सार पीएमजीएसवाई कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी वेबसाइट अर्थात ओएमएमएएस पर अपलोड किया जाता है , ताकि नागरिकों को कार्यक्रम के तहत निष्पादित किए जा रहे सड़क कार्यों की गुणवत्ता देखने की सुविधा मिल सके।

इस मंत्रालय ने नागरिकों को पीएमजीएसवाई सड़कों से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया/शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए "मेरी सड़क" मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया है। इसके अलावा , पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों में इंजीनियरिंग स्टाफ और जन प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के प्रावधान हैं।

*****